

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
**पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल**

**प्रकरण क्रमांक L0023712**

मे० ल्युपिन लिमिटेड,  
198-202, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया नं.-II,  
मण्डीदीप,  
जिला - रायसेन (म.प्र.)  
द्वारा:- श्री विलास सतपुते,  
(सीनियर वाईस प्रेसीडेंट)

— आवेदक

**विरुद्ध**

अधीक्षण यंत्री,  
(संचा./संधा.) वृत्त,  
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
भोपाल (म.प्र.)

— अनावेदक

**आदेश**

**(दिनांक 23.07.2013 को पारित)**

- विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) के प्रकरण क्रमांक C0089711 मे० ल्युपिन लिमिटेड विरुद्ध अधीक्षण यंत्री में पारित आदेश दिनांक 21.11.2011 से असंतुष्ठ होकर उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।
- आवेदक/उपभोक्ता जो एक निर्गमित निकाय है, ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध इस आशय की शिकायत की थी कि वह विद्युत का उपभोक्ता है, जिसका सर्विस कोड 574308 है तथा वह विद्युत का उच्च दाब उपभोक्ता है । उपभोक्ता का मुख्य व्यवसाय दवाओं का निर्माण करना है । उसने ऐसी दवाओं के निर्माण के लिए विद्युत ऊर्जा चलित मशीनों के संचालन के लिए विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत कम्पनी से अनुबंध किया था । उक्त अनुबंध के अनुसार उसकी विद्युत खपत की अधिकतम मांग 8043 के.वी.ए. थी । दिनांक 22.05.11 को अचानक 15 मिनट के लिए विद्युत ऊर्जा की अधिकतम मांग बिलिंग मीटर में 9990 के.वी.ए. दर्ज की गई, जिसकी शिकायत उपभोक्ता द्वारा विद्युत वितरण के लिए उत्तरदार्इ कम्पनी को की गई । इसके पश्चात् दिनांक 05.06.11 को बिलिंग मीटर में अधिकतम विद्युत खपत की मांग 8829 दर्ज की गई जो अनुबंधित अधिकतम मांग से अधिक थी । बिलिंग

मीटर में अधिकतम मांग से अधिक 15 मिनट के लिए खपत दर्ज होने पर उसने अपने परिसर में स्थापित विद्युत उपकरणों की जांच की और जांच करने पर उसने पाया कि उसके परिसर में ऐसा कोई उपकरण स्थापित नहीं है जिनके कारण विद्युत ऊर्जा की खपत अधिकतम मात्रा से अधिक हो । दिनांक 22.05.11 को जब मीटर में स्वीकृत अधिकतम मांग से अधिक विद्युत की खपत दर्ज हुई थी उस समय विद्युत वितरण कम्पनी के सब-स्टेशन में स्थापित चेक मीटर में 7640 के.वी.ए. की मांग दर्ज की गई थी । इसी तरह दिनांक 05.06.11 को जब उपभोक्ता के मीटर में अधिकतम मांग 8892 के.वी.ए. दर्ज हुई थी उस समय अनावेदक के सब-स्टेशन में स्थापित चेक मीटर में अधिकतम मांग 7640 के.वी.ए. दर्ज हुई थी । इसी तरह दिनांक 22.05.11 को उपभोक्ता के परिसर में स्थापित चेक मीटर में अधिकतम मांग 7532 दर्ज हुई थी तथा दिनांक 05.06.11 को अधिकतम मांग 7266 दर्ज हुई थी । उपभोक्ता की शिकायत में मीटरों की जांच कराने पर बिलिंग मीटर सही होना पाया गया था, जबकि वास्तविक रूप से मीटर की तकनीकी खराबी जांच में नहीं पकड़ी जा सकी थी । उपभोक्ता द्वारा कभी भी स्वीकृत अधिकतम मांग से अधिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया था, अतः अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता से 4709573/- तथा 1746561/- रु. की राशि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वसूल किया गया है, को 18% ब्याज के साथ वापस दिलाए जावे ।

3. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से उपभोक्ता की शिकायत का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य जो अनुबंध निष्पादित हुआ था उस अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में विद्युत खपत की संगणना के लिए स्थापित मीटर (जिसे बिलिंग मीटर के नाम से संबोधित किया गया है) के अतिरिक्त अन्य चेक मीटर नहीं लगाया गया था । उपभोक्ता जिस चेक मीटर को अपने परिसर में स्थापित किया जाना बताता है उस चेक मीटर की स्थापना उपभोक्ता द्वारा अपने स्तर पर की गई थी जो उपभोक्ता द्वारा आंतरिक विद्युत खपत को दर्ज करती थी । इसके अतिरिक्त अनुबंध की शर्तों के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनी के सब-स्टेशन में विद्युत आपूर्ति के लिए मीटर लगाए जाने का प्रावधान नहीं था तथा विद्युत वितरण कम्पनी में जो मीटर लगाया गया था उसमें दर्ज खपत विद्युत ऊर्जा के देयक जारी किए जाने के प्रयोजन के लिए नहीं थी अर्थात् इस मीटर में दर्ज खपत के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा की वसूली नहीं की जा सकती थी । उपभोक्ता के परिसर में जो मीटर वैध रूप से स्थापित था उसमें दर्ज विद्युत ऊर्जा की खपत के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत का मूल्य वसूल किया जाना था तथा उपभोक्ता के परिसर में जो अधिकतम मांग दर्ज हुई थी उस अधिकतम मांग के आधार पर नियमानुसार उसे विद्युत देयक जारी किए गए थे । उपभोक्ता

द्वारा शिकायत किए जाने पर उपभोक्ता के परिसर में वैध रूप से स्थापित मीटर की जांच कराई गई थी, मीटर सही होना पाया गया था । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की यह मांग विधिसंगत नहीं है कि अनावेदक के सब-स्टेशन में स्थापित मीटर में दर्ज खपत को आधार माना जाकर वैध मीटर में दर्ज अधिकतम मांग में कमी की जाए तथा यह माना जाए कि उक्त मीटर में दर्ज खपत के अनुसार विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया था । अनावेदक की ओर से यह आपत्ति भी की गई है कि उपभोक्ता को नियमानुसार विद्युत देयक जारी किए गए हैं, जिनके परिपेक्ष्य में उपभोक्ता द्वारा जमा की गई राशि को उपभोक्ता वापस प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

4. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने उभयपक्षों को सुने जाने के पश्चात् यह निष्कर्ष दिया है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर की जांच प्राधिकृत जांच एजेन्सी द्वारा कराए जाने पर मीटर को सही होना पाया गया है, अतः उपभोक्ता के मीटर में दिनांक 22.05.11 एवं 05.06.11 को दर्ज अधिकतम मांग को फोरम सही मानता है और इस आधार पर उसका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है ।

5. फोरम के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मीटर की टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर मीटर में दर्ज अधिकतम मांग को सही मानने का जो निष्कर्ष फोरम द्वारा दिया गया है वह उचित तथा विधिसंगत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रानिक मीटर के सॉफ्टवेयर में कई बग आ जाते हैं, जिसके कारण मीटर असामान्य व्यवहार करता है । जिन एजेन्सियों ने मीटर की जांच की थी और सही होने की रिपोर्ट दी थी उन एजेन्सियों के पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रानिक मीटर के साफ्टवेयर को जांच कर उसमें बग आदि का पता लगा सके, इसी कारण ऐसी ऐजेन्सी (संस्था) द्वारा मीटर को सही होने की रिपोर्ट दी गई थी, जबकि वास्तविकता यह थी कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनावेदक की ओर से उपभोक्ता के परिसर में चेक मीटर नहीं लगाया गया था तथा विद्युत की अधिकतम मांग केवल एक महीने में 15 मिनट के लिए दर्ज हुई थी, जबकि उसी समय विद्युत वितरण कम्पनी के परिसर में स्थापित मीटर में ऐसी कोई अधिकतम मांग दर्ज नहीं हुई थी । विद्युत वितरण कम्पनी के परिसर में जो मीटर लगा था उसमें दर्ज खपत का अवलोकन करने से यह साबित होता है कि विद्युत की आपूर्ति स्वीकृत भार से अधिक नहीं हुई थी अर्थात् उपभोक्ता द्वारा मीटर में दर्ज खपत के अनुसार 15 मिनट के लिए अधिकतम विद्युत ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की शिकायत सही तथ्यों पर आधारित थी जिसे मान्य किया जाना चाहिए ।

6. उपभोक्ता के उक्त अभ्यावेदन के संबंध में अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से यह आपत्ति की गई है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार उच्च दाब उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने वाले विद्युत खपत के यदि किसी माह में 15 मिनट से अधिक समय के लिए विद्युत की अधिकतम खपत दर्ज की जाती है तो ऐसी अधिकतम खपत के आधार पर पूरे माह के लिए विद्युत देयक टैरिफ आदेश के अनुसरण में जारी किए जाते हैं, अतः विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश के अनुसरण में विद्युत देयक जारी किया गया था, किसी तकनीकी खामी के कारण विद्युत की अधिकतम मांग दर्ज नहीं हुई थी । वास्तविक रूप से उपभोक्ता द्वारा अनुबंध की शर्तों के विपरीत विद्युत ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया गया था, अतः वह वांछित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ।

7. **विचारणीय प्रश्न यह है कि :— “क्या दिनांक 22.05.11 एवं 05.06.11 को उपभोक्ता के मीटर में दर्ज अधिकतम मांग अज्ञात तकनीकी कारण से आई थी ? यदि हो तो प्रभाव ?”**

#### कारणों सहित आदेश इस प्रकार है

8. उपभोक्ता की ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उसे समर्पित फीडर के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जाती है । उसके परिसर के लिए जिस स्थान से विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति प्रारम्भ होती है उस स्थान में अनावेदक के परिसर में विद्युत ऊर्जा की खपत के आंकलन के लिए मीटर लगाया गया है, इस मीटर में विद्युत ऊर्जा की खपत का आकलन उसे प्रदान नहीं किया जा रहा है, अतः अनावेदक से ऐसे मीटर की खपत के आकलन को पेश किए जाने का निर्देश दिया जाए ।

9. उपभोक्ता/आवेदक की ओर से प्रस्तुत इस आवेदन पत्र का निराकरण आदेश पत्र में पारित आदेश दिनांक 02.05.13 के अनुसार किया गया था तथा उसका आवेदन पत्र निरस्त किया गया था । इस आदेश के विरुद्ध आवेदक उपभोक्ता की ओर से अन्य कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया जाता है, अतः यह आदेश अन्तिम स्वरूप का था ।

10. उपभोक्ता की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क किया गया है कि उसने विद्युत खपत की संगणना के लिए अपने परिसर में एक मीटर पृथक से स्थापित कर रखा है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि निर्धारित खपत से अधिक विद्युत ऊर्जा की मांग होने पर उस मीटर का अलार्म बजता है, परन्तु दिनांक 22.05.11 तथा 05.06.11 को ऐसा अलार्म नहीं बजा था जो यह साबित करता है कि दिनांक 22.05.11 एवं 05.06.11

को विद्युत ऊर्जा की अधिकतम मांग अर्थात् खपत प्रत्याशित नहीं थी । उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत इस तर्क को विवाद के निराकरण के प्रयोजन के लिए उपयोगी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई मीटर या उपकरण स्थापित किए जाने का अनुबंध उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य नहीं हुआ था । इस तथ्य को उपभोक्ता ने स्वीकार किया है, परन्तु उसकी ओर से यह तर्क किया गया है कि उपभोक्ता के परिसर में उपभोक्ता की ओर से स्थापित अलार्म मीटर तथा अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के परिसर में स्थापित मीटर में दर्ज खपत के परिपेक्ष्य में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार इस तथ्य पर विचार किया जाए कि दिनांक 22.05.11 और 05.06.11 को उपभोक्ता के परिसर में जो मीटर लगाया गया था उस मीटर में दर्ज अधिकतम खपत सही नहीं थी ।

11. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत इस तर्क के परिपेक्ष्य में विधि के सुसंगत प्रावधानों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा ।

12. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 8.4 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ता को आपूर्ति एक अलग स्वतंत्र फीडर पर की जाती है तो मीटरिंग की व्यवस्था उपभोक्ता के परिसर में की जाएगी या यदि आपसी सहमति हो तो अनुज्ञाप्तिधारी के उपकेन्द्र पर मीटरिंग व्यवस्था को बिलिंग के लिए लगाया जा सकता है । इस प्रावधान के अनुसार उपभोक्ता जिसके लिए विद्युत की आपूर्ति एक अलग स्वतंत्र फीडर पर की जाती थी, के परिसर में मीटर की व्यवस्था की गई थी । उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी ने उपकेन्द्र पर बिलिंग के लिए मीटरिंग की व्यवस्था नहीं की थी, अतः इस प्रकरण में अनुज्ञाप्तिधारी अर्थात् विद्युत वितरण कम्पनी के विद्युत सब-स्टेशन में जो मीटर लगा था उस मीटर में दर्ज खपत को बिलिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा मीटर दोनों पक्षों की सहमति से बिलिंग के प्रयोजन के लिए नहीं लगाया गया था ।

13. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 8.5 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञाप्तिधारियों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह उपभोक्ता अथवा उपभोक्ताओं के कनेक्शनों के समूह के लिए चेक मीटर स्थापित कर सकता है । चेक मीटर व बिलिंग मीटर में दर्ज खपत में अन्तर यदि स्वीकृत सीमा से ज्यादा हो तो ऐसी दशा में अनुज्ञाप्तिधारी उपभोक्ता को लिखित सूचना देने के उपरान्त बिलिंग मीटर को पोल या पिलर बाक्स में स्थापित कर सकते हैं । इन प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी और ऐसे चेक मीटर के आधार पर अनुज्ञाप्तिधारी को बिलिंग करने का अधिकार भी नहीं दिया गया है । वह केवल बिलिंग मीटर को पोल या पिलर बाक्स में स्थापित करने की कार्यवाही

उपभोक्ता को सूचना देने के पश्चात् कर सकता है, अतः उक्त उपबंध के अनुसार भी अनुज्ञप्तिधारियों अर्थात् विद्युत वितरण कम्पनी के परिसर में स्थापित मीटर में दर्ज खपत का उपयोग बिलिंग के प्रयोजन या अधिकतम मांग की संगणना के लिए नहीं किया जा सकता है ।

14. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 9.17 के प्रावधानों के अनुसार यदि मीटर कार्यरत् न हो उस स्थिति में चेक मीटर में उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जा सकती है । इस मामले में उपभोक्ता का मीटर कार्यरत् नहीं रहा हो, ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, अतः उपभोक्ता के परिसर में स्थापित चेक मीटर जो स्वयं उपभोक्ता द्वारा स्थापित किया गया था उसमें दर्ज खपत को बिलिंग के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ।

15. उपभोक्ता की ओर से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की दृष्टि से विवाद पर विचार किए जाने का अनुरोध किया गया है । प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उपयोग करने का अधिकार विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विद्युत लोकपाल को प्रदान किए गए हैं । विद्युत लोकपाल उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कर सकता है, परन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उपयोग उसी स्थिति में किया जा सकता है जब विवाद की विषय—वस्तु के संबंध में विधि न हो अथवा तत्संबंध में विधि के उपबंध अज्ञात्मक न हो । इस मामले में उपभोक्ता के परिसर में स्थापित उच्च गुणवत्ता वाले मीटर की जांच प्राधिकृत संस्था द्वारा कराई जाने पर मीटर को सही पाया गया था । उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य विद्युत की आपूर्ति और विद्युत ऊर्जा के मूल्य के संबंध में संविदा हुई थी और अनुबंध की शर्तों के अनुसार ही विद्युत ऊर्जा की खपत के लिए मीटर लगाया था । परिसर में स्थापित मीटर किसी अज्ञात कारण से ऊर्जा की खपत अधिकतम दर्ज कर सकता है, इस बात की जानकारी विद्युत का उपभोग करने वाले उपभोक्ता तथा विद्युत का वितरण के लिए उत्तरदाई कम्पनी अर्थात् दोनों पक्षों को होगी, यही उपधारणा की जावेगी । आवेदक उपभोक्ता बिजली का साधारण उपभोक्ता नहीं था वह कम्पनी थी और उसकी जो अधिकतम मांग थी उसको देखते हुए यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उपभोक्ता ने विषय के विशेषज्ञों को निश्चित रूप से नियुक्त किया होगा । बिजली की आपूर्ति तथा मीटर की खपत के संबंध में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को इस बात की जानकारी हो सकती है कि उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रानिक मीटर के साफ्टवेयर में बग आ जाने के कारण ऐसा मीटर असामान्य व्यवहार कर सकता है, यदि ऐसा होना संभावित था तो उपभोक्ता और विद्युत वितरण के लिए उत्तरदाई अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य जो संविदा हुई

थी उस संविदा में यह अनुबंध किया जा सकता था, की साफ्टवेयर में बग आ जाने के कारण यदि मीटर का असामान्य व्यवहार पाया जाता है तो उसका उपचार क्या होगा, परन्तु उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य जो संविदा हुई थी उसमें इस आशय का कोई उपबंध किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्राकृतिक न्याय का आधार लेकर मनमाने तरीके से यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है कि उपभोक्ता के परिसर में बिलिंग प्रयोजन के लिए स्थापित मीटर के साफ्टवेयर में बग आ जाने के कारण उस मीटर ने असामान्य व्यवहार किया था, इसी कारण मीटर में दिनांक 22.05.11 और 05.06.11 को अधिकतम मांग दर्ज हुई थी ।

**: निष्कर्ष :**

16. उपरोक्त विवेचन के आधार पर ऐसी कोई परिस्थिति का होना नहीं पाया जाता है, जिसके आधार पर यह माना जा सके कि दिनांक 22.05.11 और 05.06.11 को उपभोक्ता के परिसर में बिलिंग के प्रयोजन के लिए स्थापित मीटर ने किसी अज्ञात कारण से असामान्य व्यवहार किया था तथा ऊर्जा का उपभोग न किए जाने पर भी अधिकतम मांग दर्ज की थी । अतः फोरम का यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है कि दिनांक 22.05.11 और 05.06.11 को बिलिंग प्रयोजन के लिए स्थापित मीटर में दर्ज अधिकतम मांग सही थी । बिलिंग मीटर में दर्ज अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत देयक की वसूली नियमानुसार की गई थी, अतः इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता ने जो राशि अनुज्ञप्तिधारी अर्थात् विद्युत वितरण कम्पनी को अदा की थी, उसे वापस प्राप्त करने का अधिकारी उपभोक्ता को नहीं पाया जाता है । उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को उपरोक्त कारणों से निरस्त किया जाता है । फोरम के आदेश यथावत् कायम रखा जाता है ।

17. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**